तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म में जारी
24.4.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायि- कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य कार्यवाही दिनांक 14-5-25 को पेश हो।	
10.5.25	आज सम्बन्धित न्यायालय से पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। पत्रावली में कोई कार्यवाही नही हो सकी। पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पेशी से पूर्व भेजी जावें। अध्यक्ष सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति नैनवाँ जिला बून्दी (राज0)	
14/5/25	पत्रावली पेश हुई। तामील पक्षकारान उप०। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि धारा 251 के जो एक समरी ट्रायल है, को चलते लगभग 3 वर्ष हो चुके है। तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा जिस ख.नं. 375 के लिए रास्ता चाहा है वह पक्षकारान की शामलाती भूमि है। अतः बिना बंटवारे के रास्ता दिया जाना उचित नहीं होने से पत्रावली में पृथक से निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–114 / 2022 दायर दिनांकः 16.6.2022
GCMS NO:- 2022/207 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. चम्पा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।
2. कविता पुत्री बाबूलाल नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता चम्पा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. लड्डू आ0 लच्छया जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।
2. बनवारी आ0 लच्छया जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।
3. बाबूलाल आ0 रामनारायण जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।
4. फोरी बाई पुत्री गोविन्दा पत्नी शंभू जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज।
5. ग्राम पंचायत बालापुरा जर्ये सचिव ग्राम पंचायत बालापुरा तहसील नैनवॉ।
6. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।
7. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।
अप्रार्थी सं 4 की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 14.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज प.म. बालापुरा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 208 की भूमि खसरा नम्बर 375 रकबा 0.3236 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 खातेदारी एवं पारिवारिक बंटवारे मे प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण के हिस्से मे आयी थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 ही काबिज काश्त है तथा वही उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि उक्त भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 383 जो समीधी जाने वाला है, पर से होकर खुरंचे पर होते हुए खसरा नम्बर 372 व 373 पर होते हुए जाने का है। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण अपने पति/पिता के समय से ही रास्ते के रूप मे बरसों से उपयोग उपभोग करने, अपनी भूमि पर आने–जाने व कृषि यंत्रों, जानवरों को लाने ले जाने के काम मे लेते चले आ रहे है लेकिन कुछ समय पूर्व प्रत्यार्थीया फोरी बाई ने प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को कांटो की बा डबनाकर व डोल लगवाकर अवरूद्व कर दिया जिसे लाल स्याही से परिशिष्ट अ मे दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण भी है।

हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 375 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह पक्षकारान की शामलाती भूमि है। पक्षकारान प्रकरण मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा